संख्याः 3/2016/242/तीस-4-2016-20(31)/2004

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनाँक 19 फरवरी, 2016

विषयः केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 118 के अन्तर्गत परिवहन यानों में स्पीड गवर्नर लगाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-188(जी)स.सु./2015-118ए/2006, दिनांक 27.01.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में यह निर्णय लिया गया है कि परिवहन यानों में स्थापित किये जाने वाले स्पीड गवर्नर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मानक ए.आई.एस.018/2001 के अनुरूप होगें तथा स्पीड गवर्नर को प्रचालकों द्वारा स्वयं राज्य स्तर पर चयनित बेंडर्स से क्रय करके अपने वाहन में स्थापित कराया जायेगा, जिसे राज्य परिवहन प्राधिकरण, उ0प्र0 या संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा सरकारी सील से इस प्रकार सील किया जायेगा कि बिना सील तोड़े इसे हटाया या नुकसान नहीं पहुँचाया जा सके।

3- स्पीड गवर्नर के मूल्य लाजिस्टिक सपोर्ट सर्विस सेन्टर आदि की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्पीड गवर्नर लगाये जाने हेतु टेण्डर के माध्यम से वेंडर का चयन कर अधिकृत किया जायेगा। ग्राहकों को सुलभ, सुविधा जनक, गुणवत्तापूर्ण एवं संस्ती सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी रूप से दक्ष/अर्ह निविदा दाताओं में से न्यूनतम बोली लगाने वाले वेण्डर का चयन किया जायेगा। इस कार्य हेतु टेण्डर डाक्यूमेंट तैयार करने से लेकर वेण्डर के चयन संबंधी पूर्ण प्रक्रिया हेतु डीमट्स (दिल्ली इन्टीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रॉजिट सिस्टम) को परामर्शदाता के रूप में चयनित किया गया है।

4- परामर्शी संस्था डीम्ट्स के कंसल्टेन्सी फीस का भुगतान परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष के लेखा शीर्षक-3055-सड़क परिवहन-001 निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय की मानक मद-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं से किया जायेगा। निविदा के समय सफल निविदादाता से परामर्शी संस्था डीम्ट्स की कन्सल्टेंसी फीस की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

कृपया प्रकरण में तदनुसार नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in